REGD, NO. D. L. -33004/99

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

# HRCAzette of India

Stericitor EXTRAORDINARY भाग II---खण्ड 3---उप-खण्ड (ii) PART II--Section 3--Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 14, 2012/माघ 25, 1933 NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 14, 2012/MAGHA 25, 1933

No. 241]

. सं. 241)

# सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2012

का.आ. 272(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पोत परिवहन, सड्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 22 मार्च, 2007 की संख्या सा.का.नि. 418(अ) की अधिसूचना में एतदद्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची की तालिका में, कॉलम (1) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के सामने मध्य प्रदेश राज्य के संबध में, कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टियां हटा दी जाएंगी।

[फा. स. एनएच-14013/17/2011-पी एंड एम]

माया प्रकाश, उप-सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

#### New Delhi, the 14th February, 2012

S.O. 272(E).—In exercise of powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, number S.O. 418(E), dated 22nd March, 2007, namely :—

In the Table of the said notification, under column (1), against National Highway number 12, the entries in columns (2) and (3), in respect of State of Madhya Pradesh shall be omitted.

[F. No. NH-14013/17/2011-P&M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

# अधिसूचना

## नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2012

का.आ. 273(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुएं, भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 21 अप्रैल, 2010 की सा.का.नि. संख्या 910(अ) की अधिसूचना में एतदद्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

468 G1/2012

(1)

उक्त अधिसूचना की अनुसूची की तालिका में, कॉलम (1) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 और 12ए के सामने मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में, कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टियां हटा दी जाएंगी।

[फा. सं. एनएच-14013/17/2011-पी एंड एम]

माया प्रकाश, उप-सचिव

### NOTIFICATION

#### New Delhi, the 14th February, 2012

S.O. 273(E).—In exercise of powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 910(E), dated 21st April, 2010, namely :---

In the Table of the said notification, under column (1), against National Highway numbers 12 and 12A, the entries in columns (2) and (3), in respect of State of Madhya Pradesh shall be omitted.

[F. No. NH-14013/17/2011-P & M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

## अधिसूचना

## नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2012

का.आ. 274(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 9 अगस्त, 2010 की सा.का.नि. संख्या 1939(अ) की अधिसूचना में एतदद्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची की तालिका में, कॉलम (1) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 78 के सामने मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में, कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टियां हटा दी जाएंगी ।

[फा. सं. एनएच-14013/17/2011-पी एंड एम]

माया प्रकाश, उप-सचिव

#### **NOTIFICATION**

## New Delhi, the 14th February, 2012

S.O. 274(E).—In exercise of powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 1939(E), dated 9 August, 2010, namely :—

In the Table of the said notification, under column (1), against National Highway number 78, the entries in columns (2) and (3), in respect of State of Madhya Pradesh shall be omitted.

[F. No. NH-14013/17/2011-P & M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

मध्य प्रदेश राज्य सरकार''

# अधिसूचना

## नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2012

का.आ. 275(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थातु :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम संख्या 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :----

"13 राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 [कि.मी. 243.600 से कि.मी. 651.500 (रीवा से कटनी से मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा) तक को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 12, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 12ए, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 26ए, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 27, राष्ट्रीय राजमार्ग

2

सं. 75 [ग्वालियर-झांसी खंड के ग्वालियर बाइपास सहित कि.मी. 0.000 से कि.मी. 85.000 तक के ग्वालियर से उत्तर प्रदेश/मध्य प्रदेश सीमा खंड को छोड़कर]. राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 76 [कि.मी. 0.000 से कि.मी. 30.000 तक (मध्य प्रदेश और राज्स्थान सीमा से शिवपुरी) तक को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 78 और राष्ट्रीय राजमार्ग मं. 92 का उतना हिस्सा जो कि मध्य प्रदेश राज्य के भीतर अवस्थित है।

[फा. सं. एनएच-14013/17/2011-पी एंड एम]

माया प्रकाश, उप-संचिव

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना सं का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अतिम बार का.आ. 1792(अ), तारीख 3 अगस्त, 2011 द्वारा संशोधन किया गया था।

### NOTIFICATION

### New Delhi, the 14th February, 2012

S.O. 275(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely :—

In the Schedule to the said notification, for serial number 13 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:----

"13 So much of National Highway No. 7 [excluding from km. 243.600 to km. 651.500
"13 So much of National Highway No. 7 [excluding from km. 243.600 to km. 651.500
"14 State Government of Madhya Pradesh and Maharatra Border)], National Highway No. 12, National Highway No. 12A, National Highway No. 26A, National Highway No. 27, National Highway No. 75 [excluding from km. 0.000 to km. 85.000 of Gwalior to UP/MP Border including Gwalior Bypass of Gwalior -Jhansi Section], National Highway No. 76 [excluding from km. 0.000 to km. 30.000 (Madhya Pradesh and Rajasthan border to Shivpuri)], National Highway No. 78 and National Highway No. 92 as are situated within the State of Madhya Pradesh.

[F. No. NH-14013/17/2011-P&M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Footnote: The principal notification was published in the Gazette of India vide number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 which was last amended vide number S.O. 1792(E), dated the 3rd August, 2011.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 3